

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमण्डल, रजौली (नवादा)।

email:- eesinchairajauli2016@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2026-27

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रघन की राशि (रू० में)	परिमाण - विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में) (रू० में)	बेल्ड्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में) (रू० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Repair work of Aqueduct at 0.348 km & 6.065 km of Phulwaria LMC, Fall cum SLR Bridge at 2.60 km of Phulwaria RMC, Fall cum SLR Bridge at 9.14 km & Culvert at 17.10 km of Phulwaria LBC and Aqueduct cum Bridge at 3.60 km of Kol Mahadeo Bahiyara Main Canal under Irrigation Division Rajauli (Nawada)	35.00	70,000.00	5000.00	590.00	06 (छः) माह

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :-

दिनांक 02.04.2026

3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि :-

दिनांक 28.04.2026 से दिनांक 07.05.2026 के 3:00 बजे अपराहन तक। (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

4 तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :-

दिनांक 08.05.2026 के 3:30 बजे अपराहन।

(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

5. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :-

सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायगी।

(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

6. निविदा खोलने का स्थान :-

www.eproc2.bihar.gov.in पर

7. निविदा की वैधता की अवधि :-

120 दिन

8. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :-

कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, रजौली।

9. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

ह०/-

कार्यपालक अभियन्ता,
सिंचाई प्रमण्डल, रजौली।
मो० नं० - 9572380396

10. e-Tendering की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा जिसमें उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID & Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) प्राप्त होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने / e-Tendering की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

11. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

12. (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा), का भुगतान Online mode (e-Payment Mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-Payment Mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।

Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

(ग) **"Bids along with Necessary Online Payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The Department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non -availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."**

(घ) **"BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode"**.

पथ निर्माण विभाग के पत्रांक - 7/नियम-01-02/2023-163/(ई०) दिनांक 10.01.2024 एवं विभागीय पत्रांक 88 दिनांक 29.01.2024 के अनुसार।

- i. निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्डकॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा।
- ii. अग्रधन की राशि ऑनलाईन पेमेंट या बैंक गारन्टी के द्वारा स्वीकार किया जायेगा। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे सभी शपथ पत्र मूल में बैंक गारन्टी मूल में एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो तथा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली के पक्ष में निर्गत हो) मात्र स्वीकार किया जाएगा (केवल EMD अग्रधन के मामले में) ।

13. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण/वांछित कागजात बैंक ड्रफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

15. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाय, अन्य Format में Upload Documents के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

16. संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download Ability/Visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

17. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

18. निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 4439 (E) दिनांक 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 536 दिनांक 18.07.2023 के आलोक में CWJC No-9941/2022 में दिनांक 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।

19. संवेदक के विपत्र से 01% (एक प्रतिशत) सेस (Cess) की राशि भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी तथा GST एवं मालिकाना फीस / रॉयल्टी इत्यादि अन्य वैधानिक करों की कटौतियाँ नियमानुकूल की जाएगी।
20. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल सिंचाई भवन पटना(0612-2235241) टॉल फ्री नं०-18005726571, 7605084942 अथवा ई-मेल eproc2support@bihar.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
21. निविदित दर, Serious unbalanced rate होने कि स्थिति में Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या-447(S) सह पठित ज्ञापांक-448(S) दिनांक-16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
22. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार ही अग्रधन की देयराशि संशोधित समझी जायेगी।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
24. तकनीकी बीड में कई सफल निविदा दाताओं का सामान्य न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदा दाताओं का चयन बिहार लोक निर्माण लोक संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
25. किसी भी विभाग में Debar/Black listed किये गये संवेदक का न्यूनतम दर रहने पर भी उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
26. निविदा में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली द्वारा निर्गत अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे। कार्य आवंटन के पश्चात् निविदाकार को जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के अन्तर्गत समुचित श्रेणी में निबंधित होना अनिवार्य होगा।
27. निविदादाता को निम्नलिखित अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति ई-निविदा हेतु मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर अपलोड करना आवश्यक होगा
- अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र।
 - पैन कार्ड की प्रति।
 - जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - आरक्षी अधीक्षक से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) (निविदा निर्गत करने की तिथि के बाद का निर्गत) अपलोड करना अनिवार्य है, जो इस प्रकार का है:-
- " I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as blacklisting."**
28. कार्य का एकरारनामा फॉर्म F2 पर होगा, जिसका कण्डिका 23 विलोपित समझा जाय।
29. संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र/संयंत्रों / गुणनियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। निर्माण सामग्री यथा सिमेंट, लोहे की आपूर्ति विभाग द्वारा नहीं की जाएगी, परंतु मानक के आधार पर निर्धारित मात्रा अपेक्षित तथा सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
30. निविदा की अन्य विशेष शर्तें परिमाण विपत्र के साथ संलग्न होगी जो निविदाकारों को मान्य होगा। अन्य सभी शर्तें लोक निर्माण संहिता द्वारा निर्गत नियमों के अनुरूप होगी।
31. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
32. बिहार सरकार/जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचना/आदेश निविदा के शर्तों के लिए मान्य होगा।
33. संवेदकों को अपने विपत्रों के साथ कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों के वैधानिक स्रोतों से क्रय के समर्थन में ई-चालान (मूल में) समर्पित करना होगा।
34. जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जाएगा।
35. निविदा डालने के पूर्व संवेदक स्थल निरीक्षण कर लें। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
36. विभाग से आवंटन उपलब्ध रहने पर ही कराये गये कार्यों का भुगतान किया जायेगा।

37. कार्य आवंटित होने पर निर्धारित अवधि तक एकरारनामा नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अग्रघन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
38. किसी भी प्रकार के **Dispute/Arbitration** संबंधी मामलों (**Settlement of Disputes Arbitration**) का निबटारा विभागीय पत्रांक 633 दिनांक 05.09.2019 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
39. बिना कारण बताए निविदा आमंत्रण सूचना में प्रकाशित किसी एक या एक से अधिक कार्यों को अथवा सभी कार्यों को अस्वीकृत करने/रद्द करने/विस्तारित करने/संशोधित करने करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित है।
40. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को प्राप्त की एवं खोली जाएगी।
41. विस्तृत जानकारी हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली कार्यालय कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है तथा वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
42. निविदाता को निविदा डालने के पूर्व Call Before U DIG App (CBUD) App Download and Logging करना अनिवार्य है।
43. इस निविदा का प्रकाशन विभागीय पत्रांक 418 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा प्राप्त गो-अहेड के आलोक में किया गया है एवं निविदा का निष्पादन प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के प्रत्याशा में किया जायेगा।
44. खान एवं भूतत्व विभाग, पटना का पत्रांक 4352 दिनांक 30.08.2022, पत्रांक 4587 दिनांक 11.09.2023, ज्ञापांक-4418/एम०, पटना दिनांक 19.10.2024 एवं वाणिज्य कर विभाग पटना का पत्रांक 3265 दिनांक 01.12.2022 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

ह०/—


कार्यपालक अभियन्ता,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली (नवादा)
मो० नं०-9572380396

पत्रांक-538/

रजौली, दिनांक-02/04/2026

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित (upload) करने हेतु एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ समर्पित।

अनु०-यथावत्


02/04/2026

कार्यपालक अभियन्ता,
सिंचाई प्रमंडल, रजौली (नवादा)
मो० नं०-9572380396